[श्री दिगम्बर सिंह]

वही मथुरा केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में उपेक्षित है। उसका नाम तीर्थ-स्थानों की सूची में नहीं। मथुरा और वृन्दावन के यमुना के किनारों के घाटों की स्थिति बहुत खराब है। पुराने घाट भी टूटते जाते हैं। सड़क खराब है, गली खराब है, छपाई के कारखाने और नालों के गंदे पानी के कारण यमुना का पानी गंदा हो जाता है। बिजली और पीने के पानी की कमी है। गंदा पानी कई महत्व-पूर्ण स्थानों पर स्थाई तौर पर भरा रहता है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कान-पुर ने उद्योग बस्ती बना कर और उसके गंदे पानी के निकास को नगर की ओर कर के एक समस्या और खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् भी मकान बना कर गंदे पानी को नगर की ओर कर रही है; मथुरा में सरकार का कोई सर्किट हाउस नहीं। टूरिस्ट विभाग का होटल आदि नहीं। रेडियो स्टेशन बहुत कम शक्ति का है। यहां की महत्वपूर्ण संस्कृति पर डाकुमेंटरी फ़िल्म नहीं बनाई जाती। चौरासी मील की यात्रा में प्रति-वर्ष पैदल परिक्रमा को हजारों लोग आते हैं। उसके मार्ग भी खराब हैं।

केन्द्रीय सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह मथुरा के लिए अधिक से अधिक सहायता दे कर सड़क ठीक कराए और पानी तथा बिजली की कमी पूरी करे। टूरिस्ट विभाग अपनी सूची में सम्मिलित करे, वह तीर्थस्थान घोषित हो। गंदा पानी यमुना के नहाने के घाटों पर न पहुंचे। रेडियो स्टेशन की क्षमता बढ़ाए। वृन्दावन और शेरगढ़ पर यमुना का पुल बनाए। औद्यो-गिक बस्ती और आवास एवं विकास परिषद् के मकानों का गंदा पानी मथुरा नगर में न जाए। सर्किट हाउस और टूरिस्ट होटल बने। बृज की संस्कृति की डाकुमेंटरी फिल्म बने आदि आदि।

आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

(ii) Need for a fishing harbour in the Arabian Sea-Court of Kanyakumari district

SHRI N DENNIS (Negercoil) : Sir, I raise the following matter of urgent Public Importance, under rule 377

Establishment of fishing harbour in the Arabian sea coast of Kanyakumari District is a long-felt need and necessity. There are repeated and persistent demands in this regard from the people of the district. Fishing is one of the major occupations in this district. As far as fishermen popu-lation is concerned, that this district stands first in Tamil Nadu. The coastal places herein are thickly populated with fishermen. It is one of the major marine fish producing parts in the country and there are wide scope and ample opportunities for the enhancement of its production. There are abundant potentialities too for its development. But in spite of its significant and tremendous contribution in the field of marine fisheries, it is regretalbe to note that there is no fishing harbour in the Arabian Sea Coast of Tamil Nadu. The proposed fishing harbour at Chainnamu-ttom is in the Bay of Bengal sea coast. Establishment of a fishing harbour at Colachel or at any other place in the Arabian sea coast of Tamil Nadu would not only facilitate the abounadant explotitation offishing reasouces of the Wagde Bank in the Indian Ocean, which has rich unex-ploited fishing resources but facilitate greatly the exploitation of resources in the Arabian Sea too. It would also considerably increase the quantity of pro-duction of marine fish and parwn lavings for domestic consumption and export. So, Government may be pleased to pass immediate orders for the establishment of fishing harbour in the Aranian sea coast of Tamil Nadu by considering its great need and urgent necessity.

(iii) NEED FOR AMELIORATING THE CONDITON OF EXTRA-DEPARTMENTAL EMPLOYMEER OF P & T DEPARTMENT NOW GONG DISTRICT IN ASSAM.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Sir, under rule 377, I raise the following matter of urgent public importance.

The condition of extra departmental staff in postal department, particularly-Nowgong District in Assam, is so pathetic that they are under starvation condition. They are only given Rs. 108/- per month for 4-6 hours work a day. They are to visit remote villages and samll towns to

deliver letters, etc. For these works, they lose valuable time in a day. Above all, for a meagre Rs. 108 p.m. they are engaged throughout the month. Moreover, they are not provided with D.A., medical benefit, leave, dresses, bonus and even umbrellas for the hot sun and in the rainy days. Sir, there is no justification for throwing Rs. 108 p.m. and extracting blood from the poor E.D. employees in the postal department. How can a man live with this meagre income ? Therefore, I urge upon the Government to look into this matter sympathetically so that justice is done to the unfortunate E.D. employees in the postal department.

(iv) Need to have the 1966 agreement between Gujarat and Rajasthan implemented to make available to Rajasthan worker from the Kadana Dam.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत निम्नलिखित विषय की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकार के दरमियान सन् 1966 में एक समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत कडाना बांध 419 फीट की ऊंचाई पर गुजरात प्रान्त में बना जो बांध बन कर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेड़े जिलों को सिंचित करने के लिए किया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने के बाद, खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जाएगा और माही का पानी कडाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाकें में तथा राजस्थान के सबसे सूखे इलाके बाड़मेर एवं जालौर में काम आयेगा।

गुजरात ने सन् 1980 में बनाए गए योजना में उक्त समझते की अवहेलना करके खेड़े जिले को नर्मदा से सिंचित न कर के माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया है। यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने को माही ही एक मात्र कम खर्चे में पहुंचाने का उपाय है। परन्तु गुजरात सरकार द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उससे राजस्थान प्रान्त के और विशेषत: बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असन्तोष है। गुजरात प्रान्त का यह कहना कि न्यायाधिकरण ने नर्मदा में उन्हें अधिक हिस्सा नहीं दिया है अत: वह माही का पानी का उपयोग करेगा, यह तर्क न्यायसंगत नहीं है ?

राजस्थान प्रान्त को भी नर्मदा में माकूल हिस्सा नहीं मिला है, जो राजस्थान सरकार ने मांग की थी सिर्फ उसका चौथाई हिस्सा मिला है।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों को बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई पर कडाना बांध बनाने की गुजरात सरकार को स्वीकृति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी हिस्सा डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था और उन्हें बेघरबार किया था।

उक्त समझौते को क्रियान्वयन करने में गुजरात सरकार द्वारा बिलम्ब करके राजस्थान सरकार के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

ऐसे अन्तरराज्यीय समझौते को पालन करना आवयक है, क्योंकि समझौते करने वाली राज्य सरकारें समझौते की करार से मुकर जायें तो ऐसे समझौते की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अत: केन्द्र सरकार इस बात का प्रबन्ध करे कि अन्तर्राज्यीय समझौतों का पूर्ण पालन हो।